

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.19(179)2022 / विविध / कार्मिक-राज / प्रमुवसं-02399 / हस्ताक्षरित दिनांक

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
2. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक।
4. समस्त वन संरक्षक।
5. समस्त उप वन संरक्षक।
6. समस्त अधिशाषी / सहायक अभियंता।

विषय:—आदेश बाबत वार्षिक कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में निर्धारित सामान्य मानको के क्रम में।

संदर्भ:—अति. मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान का आदेश क्रमांक प.15(2)वन/2023/राजकाज-02630 दिनांक 27.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया अपने अधिनस्थ से आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)  
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.19(179)2022 / विविध / कार्मिक-राज / प्रमुवसं-02399 / हस्ताक्षरित दिनांक

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),  
राजस्थान, जयपुर।

Signature Not Verified



Digitally signed by Kotapatu Chinnapan  
Albert Arun Prasad  
Designation : Additional Principal Chief  
Conservator of Forest (APCCF)  
Date: 2024.12.30 18:01:52 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कमांक प0 15 (2) वन/2023/राजकाज-02630

जयपुर, दिनांक

27 DEC 2024


आदेश

राजकीय सेवा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं, जिनके आधार पर कार्मिकों के कार्य, आचरण एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक लोकसेवक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसे यह ज्ञान हो कि उसके द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार किया जाना है, साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि उसके दोष एवं कमियाँ उसके करियर प्रगति को किस प्रकार बाधित कर सकती हैं। वार्षिक कार्य मूल्यांकन व्यवस्था का लक्ष्य इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, साथ ही सेवा के नियमितीकरण, पदोन्नति, चयनित वेतनमान के निर्धारण के समय कार्मिक की योग्यता के मूल्यांकन हेतु आंकड़े उपलब्ध करवाना है।

प्रत्येक सेवा की अपनी विशिष्टता होती है, उसी अनुरूप उसके कार्मिकों के लिए विशिष्ट दायित्व निर्धारित होते हैं। अतः कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन हेतु निर्धारित सामान्य मानकों के साथ उस सेवा से संबंधित दायित्वों को भी विशिष्ट मानकों के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वन विभाग के अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में निर्धारित सामान्य मानकों के साथ निम्नलिखित विशिष्ट मानकों को भी सम्मिलित किया जाता है:-


1. साझा वन प्रबन्ध समितियों के पंजीकरण एवं चालू वर्ष में उनके माध्यम से करवाये गये कार्यों की रिपोर्ट।
2. वृक्षारोपण हेतु पौधे तैयार करने का लक्ष्य एवं प्राप्ति वितरण का प्रतिशत।
3. प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) लक्ष्य एवं प्राप्ति प्रतिशत।
4. अग्रिम कार्य योजना का लक्ष्य एवं प्राप्ति का प्रतिशत।
5. चालू वर्ष में वृक्षारोपण का लक्ष्य एवं प्राप्ति प्रतिशत।
6. विगत वृक्षारोपण में पौधों की उत्तरजीवितता का प्रतिशत।
7. M-स्ट्राइप ऐप से बाघ मॉनिटरिंग।
8. वन्यजीव क्षेत्रों में भौतिक कार्य यथा दीवार, वन्यजीव हैबिटाट का निर्माण, लक्ष्य एवं प्राप्ति।
9. राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति।
10. वन एवं वन्यजीव अपराधों का पंजीयन एवं निस्तारण।
11. अवैध खनन एवं अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही।
12. अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के निस्तारण में प्रगति।

समस्त प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवेदित कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में उक्त विशिष्ट मानकों की प्रविष्टि उपरान्त मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त विशिष्ट मानकों की प्रविष्टि एवं मूल्यांकन के बिना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) स्वीकार नहीं किया जावे।

  
(अर्पणा अरोरा)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर एवं अतिरिक्त प्रति-अपलेड कराने हेतु।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार योगी)  
शासन उप सचिव